प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2022

विषयः अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1267/सी०ई०ओ०-3-42/3-2022, दिनांक-07 नवम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के लिए कुल रू० 30000000/- (रूपये तीन करोड़) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होंगे।

-
2.....
.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2023 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 041 लेखा शीर्षक 2015001050400 उप निर्वाचन मानक मद 08 कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त(</u><u>बी0एम0—9 (भाग—1)</u>

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

<u>संख्याः-09/2022/766(1) /61-2022-04-Reappropriation-2022-23, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A061-20222023-04-Reappropriation-20202-23

विषय:- अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	04 (यात्रा व्यय)	17,17,80,000 रुपये सत्रह करोड़ सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	14,17,80,000 रुपये चौदह करोड़ सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001050400 (उप निर्वाचन)	08 (कार्यालय व्यय)	7,61,71,000 रुपये सात करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	10,61,71,000 रुपये दस करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/विनियोग के सापेक्ष संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21-मैनपुरी (मैनपुरी एवं इटावा) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उक्त निर्वाचन का मतदान दिनांक 05.12.2022 को होना है। अतः उक्त निर्वाचन को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त धनराशि की तत्काल आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-123, दिनांक:17-11-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

(मदन मोहन त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या : A061-20222023-04-Reappropriation-20202-23, दिनांक- 18.11.2022,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है